कार्यालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

प्रकरण संख्या :– 472/2024

अनवान :–

अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग नोहर बाबत नोहर –साहवा सडक से नोहर –सरदारशहर सडक किमी 0/0 से 1/750 हेतु दान की गई भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने वादी

बनाम

तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

प्रतिवादी

राजस्व वाद संख्या :– 472

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत

तारीख हुक्म	कार्यवाह मय इनीशियल जज	नम्बर व तारिख जो अहकाम की पालना में जारी हुए
15.05.2024	अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग नोहर ने अपने पत्रांक 222 दिनांक 06.05.2024 द्वारा लिखा गया की नोहर साहबा सडक से नोहर –सरदारशहर सडक किमी 0/0 से 1/750 तक सडक निर्माण किया जाना हे जिस हेतु विभाग के पास कोई जमीन उपलब्ध नही थी स्थानीय जनप्रतिनिधि के प्रयासों से शहर के प्रबुधजन नगरिकों ने नोहर साहवा सडक से नोहर सरदाशहर सडक किमी 0/0 से 1/750 तक सडक निर्माण हेतु 40 फुट जगह राज्य सरकार को बिना किसी हरजाने के समर्पित की हे सडक हेतु काश्तकारों के द्वारा भूमि सर्मपण करने के साक्ष्य में अपने शपथ पत्र पेश किये गये है जो इस पत्र के सलग्न है अतः समर्पित की गई भूमि का नामान्करण सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज करने के आदेश फरमावे अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग नोहर के पत्रांक 06.05.2024 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा [illegible] तहत दर्ज किया जावे एवं पत्र में वर्णित भूमि की [illegible] के अनुसार जाचं की जाकर जांच रिपोर्ट/तथ्यात्मक प्रतिवेदन मय नजरीय नक्शा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 15:55:36 IST
Reason: SelfAttested

	करने हेतु लिखा जाकर पत्रावली रिपोर्ट आने /दिनांक 30.05.2024 को पेश हो।
30.05.2004	पत्रावली पेश हुई तहसीलदार नोहर ने जरिये पत्रांक पत्रांक आर–3/1 विविधि/भू0अ0/24/3505 दिनांक 30.05.2024 द्वारा काश्तकारों के द्वारा समर्पण की गई भूमि का विवरण 40 फुट के अनुसार एवं नजरीय नक्शा पटवार मण्डल अनुसार प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार पटवार मण्डल चक सरदारपुरा की भूमि पर किसी प्रकार का विवाद स्थगन नही है रिपोर्ट शामिल मिसल की गई एव श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, हनुमानगढ ने अपने पत्रांक एफ 9()नामा/भू.अ. /2024–01046/3632 दिनांक 22.04.2024 द्वारा निदेर्शित किया गया है कि अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग नोहर के पत्रांक 250 दिनांक 13.05.2024 में अंकित तथ्यों की जांच कर कार्यवाही कर 7 दिवस में अवगत करवाने हेत लिखा गया है पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 24.05.2024 को पेश हो
24.05.2024	पत्रावली पेश हुई हमने अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग नोहर एवं तहसीलदार नोहर को सुना पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग नोहर ने अपने पत्रांक 250 दिनांक 13.05.2024 का पत्र प्राप्त होने पर तहसीलदार नोहर को अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग नोहर ने अपने पत्रांक 222 दिनांक 06.05.2024 के पत्र की प्रति भिजवाई जाकर राजस्व रिकार्ड एव मौका की जांच कर नजरीय नक्शा [illegible] किस काश्तकार की कितनी भूमि समर्पित की गई है का [illegible] एवं किसी न्यायालय का स्थगन आदेश एव विवाद के [illegible] चाही गई । तहसीलदार नोहर ने [illegible] पत्रांक आर–3/1

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 15:55:36 IST
Reason: SelfAttested

विविधि/भू0अ0/24/3505 दिनांक 30.05.2024 द्वारा काश्तकारों के द्वारा समर्पण की गई भूमि का विवरण 40 फुट के अनुसार एवं नजरीय नक्शा पटवार मण्डल अनुसार प्रस्तुत किया गया है तथा पटवार मण्डल चक सरदारपुरा के काश्तकारो के द्वारा सर्मपण की जा रही भूमि के सम्बध में कोई वाद/विवाद नही है

नोहर साहबा सडक से नोहर –सरदारशहर सडक किमी 0/0 से 1/750 किमी सडक निर्माण हेतु काश्तकारों के द्वारा बिना किसी हर्जानें के अपनी खातेदारी भूमि को सडक निर्माण के लिये समर्पण किया गया है साक्ष्य के तौर पर शपथ पत्र पेश किया गया है तथा तहसीलदार नोहर ने समर्पण की गई भूमि के सम्बध में नजरीय नक्शा /जमाबन्दी मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है

तहसीलदार नोहर /पटवार मण्डल चक सरादारपुरा के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार पटवार मण्डल चक सरदारपुरा के काश्तकारों के द्वारा सडक निर्माण हेतु समर्पण की गई भूमि का राजस्व रिकार्ड में सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

अतः अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग नोहर के निवेदन एवं तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट नजरीय नक्शा के अनुसार नोहर साहबा सडक से नोहर –सरदारशहर सडक किमी 0/0 से 1/750 तक सडक निर्माण हेतु पटवार मण्डल चक सरदारपुरा के खातेदार काश्तकारों के द्वारा सर्मपण की गई भूमि का अंकन सार्वजनिक विभाग के नाम किया जाकर राजस्व नक्शा में अंकन किया जाने के आदेश दिये जाते है सडक हेतु सर्मपण की गई भूमि का राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा में अकन करने हेतु तहसीलदार नोहर को लिखा जाकर पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो

निर्णय आज दिनांक 31.5.24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 15:55:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर